सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

राजस्व वाद संख्या 140/2019 इश्वरदान बनाम गोरखदान

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
29.11.19	पत्रावली पेश हुई। वादीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उप0। उभयपक्ष के अधिवक्ता को सुना गया। वादीगण ने उक्त वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त एवं पुश्तैनी खातेदारी की विभाजित भूमि खेत खसरा नम्बर 4, 5, 56/9, 58/16 रकबा क्रमशः 0.05, 249.04, 103.00, 65.12 बीघा कुल रकबा 418.01 बीघा मौजा ओलेचा, पटवार मण्डल–आरग तथा खेत खसरा नम्बर 189/26 रकबा 44.01 बीघा मौजा रणकदेव, पटवार मण्डल धारवी कंला तह0 शिव में आई हुई थी। जो खातेदारान की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि वक्त बंदोबस्त खेत खसरा नम्बर 9, 16, 5, 4, रकबा क्रमशः 206, 131. 03, 249.04, 0.05 बीघा कुल रकबा 586.12 बीघा वाके मौजा ओलोचा तथा खेत खसरा नम्बर 26 रकबा 400.03 बीघा वाके मौजा धारवीकंला, तह0 शिव में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से आई हुई थी। जो वर्तमान मे भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उक्त वादग्रस्त आराजी वक्त बंदोबस्त पुश्तेनी रूप से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। जिसका राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद वक्त बंदोबस्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ही हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में ग्राम धारवी कंला से विभाजित होकर नवसृजित ग्राम रणकदेव व मूल ग्राम ओलेचा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ही आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में खेत खसरा नम्बर 4, 5, 56/9, 58/16 रकबा क्रमशः 0.05, 249.04, 103.00, 65.12 बीघा कुल रकबा 418.01 बीघा मौजा ओलेचा, पटवार मण्डल–आरग तथा खेत खसरा नम्बर 189/26 रकबा 44.01 बीघा मौजा रणकदेव, पटवार मण्डल धारवी कंला तह0 शिव में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आई हुई है। वादीगण जाति से चारण होने से हिन्दू विधि से शासित होते है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी एवं सहदायिकी की होने के कारण उक्त भूमि पर वादीगण का जन्मतः हक है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की औलादें हैं किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी वक्त बंदोबस्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने से राजस्व रेकर्ड में भी वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुए अतः वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में पुश्तैनी रेकर्ड में खतोनी बन्दोबस्त का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अजखुद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा	

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

डिकी पर्चा
(आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाडमेर

राजस्व वाद सं. 140/2019

वदी	बनाम	प्रतिवादी
1. इश्वरदान पुत्र गोरखदान जाति– चारण, नि0 ओलेचा तह. शिव		1. गोरखदान पुत्र हरसिंगदान 2. रिडमलदान पुत्र सगतीदान 3. आवडदान पुत्र सगतीदान 4. स्वरूपदान पुत्र सगतीदान 5. मेगूदान पुत्र सगतीदान 6. श्रीमती हीरकंवर पत्नी सगतीदान जाति–चारण, नि0 ओलेचा तह0 शिव। 7. शाखा प्रबन्धक, आर.एम.जी.बी. शाखा भीयाड़।

अधिवक्तागण –वादी वकील – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग
प्रतिवादी वकील – श्री ईश्वरसिंह भाटी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एवं प्रतिवादी संख्या 1 श्री ईश्वरसिंह भाटी उपस्थिति में आज तारीख 29.11.2019 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 4, 5, 56/9, 58/16 रकबा कमशः 0.05, 249.04, 103.00, 65.12 बीघा कुल रकबा 418.01 बीघा मौजा ओलेचा, पटवार मण्डल–आरग तथा खेत खसरा नम्बर 189/26 रकबा 44.01 बीघा मौजा रणकदेव, पटवार मण्डल धारवी कंला तह0 शिव की भूमि मे वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का सह खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

माफिक वाद स्वयं के साथ वादी को सहखातेदार घोषित किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की उभय पक्ष ने बतौर साक्ष्य अपना ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं अजखुद अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर बाद तस्दीक राजीनामा अनुसार खातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया।

पक्षकारान ने अपने बयान कलमबद्व करवाये ओर दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदिया, ख नीबन्दोबस्त व संरपच ग्राम पंचायत आंरग द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है।

हमने वाद के तथ्यों पर दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी की खतोनी बन्दोबस्त ग्राम ओलेचा व धारवी कला तहसील शिव के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति की है। जो वक्त बन्दोबस्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है। संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गोरखदान के एक पुत्र– इश्वरदान है और इनके अतिरिक्त गोरखदान के अन्य कोई जीवित या मृत वारिस नहीं है और पुश्तैनी भुमि के आधार पर वादी का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 4, 5, 56/9, 58/16 रकबा क्रमशः 0.05, 249.04, 103.00, 65.12 बीघा कुल रकबा 418.01 बीघा मौजा ओलेचा, पटवार मण्डल–आरग तथा खेत खसरा नम्बर 189/26 रकबा 44.01 बीघा मौजा रणकदेव, पटवार मण्डल धारवी कंला तह0 शिव की भूमि मे वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का सह खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 17:05:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: